

KYC

ऐसी सस्थायें जिनका पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है, उनके द्वारा निम्न विधि से स्वयं पंजीकरण किया जायेगा।

1-जिन संस्थाओं द्वारा पंजीकरण/के0वाई0सी0 नहीं करायी गयी है वे सर्व प्रथम गूगल पर **NSP** टाईप करेंगे, इसके पश्चात नेशनल स्कालरशिप पोर्टल खुलेगा, जिसमें **Service** पर क्लिक करने पर प्रथम कालम में ही इन्टीच्यूट के0वाई0सी0 रजिस्ट्रेशन फार्म प्रदर्शित होगा, जिस पर क्लिक करने पर दिये गये कालम को भरकर संस्था द्वारा अपना पंजीकरण एवं के0वाई0सी0 किया जायेगा। इसके बाद के0वाई0सी0 की 02 प्रति जो अंग्रेजी में है, उसको प्रिंट करके उस पर नोडल अधिकारी के फोटो, प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर, नोडल के हस्ताक्षर, एवं आधार कार्ड की छायाप्रति सहित कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है, जमा करने के बाद कार्यालय द्वारा के0वाई0सी0 एप्रूव की जायेगी, जिसकी सूचना नोडल/प्रधानाचार्य के माबाईल पर मैसेजे बाक्स में एन0आई0सी0, एस0एम0एस0 करके प्रदर्शित होगी, जिसमें नोडल अधिकारी द्वारा मैसेज से प्राप्त यूजर आई0डी0/पासवर्ड को डायरी में हमेशा के लिये सुरक्षित रखना अनिवार्य है।

आज्ञा से

(सीमा पाण्डेय)

डिप्टी कलेक्टर/प्रभारी

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
बलिया।